भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1613
दिनांक 10 फरवरी, 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निवीरों की कैरियर प्रगति

†1613. श्री राहुल गांधी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय को सशस्त्र बलों से अग्निवीरों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनके कैरियर की प्रगति का समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या तर्क है और रक्षा मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय के प्रति यह जिम्मेदारी क्यों दी गई जबकि अग्निवीर सशस्त्र बलों में सेवा करते हैं;

(ग) क्या सरकार ने पूर्व-अग्निवीरों के परिवर्तन और कैरियर की प्रगति के प्रबंधन में गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियों के संभावित अतिव्यापन का आकलन किया है; और

(घ) गृह मंत्रालय पूर्व-अग्निवीरों के लिए किन-किन विशिष्ट गतिविधियों और कार्यक्रमों का समन्वय करेगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): मंत्रालयों/विभागों के बीच विषयों के वितरण को भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में निर्दिष्ट किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 16.06.2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.2701(अ) द्वारा जारी संशोधन के अनुसार, "भूतपूर्व अग्निवीरों की आगे की प्रगति के लिए समन्वयकारी क्रियाकलाप" विषय गृह मंत्रालय को आवंटित किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1613 दिनांक 10.02.2026

(घ): भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए बनाई गई पुनर्वास संबंधी नीतियों के निर्माण, सुचारू समन्वय और उनकी निगरानी हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित "भूतपूर्व अग्निवीर विंग" तथा एक "भूतपूर्व अग्निवीर प्रकोष्ठ" का गठन किया गया है।

******